वित्त निर्देश 36/2012

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग
मंत्रालय,
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक : 959/वित्त/ब–4/चार/2012 दिनांक : 06/06/2012

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़

विषय :– कोषालय की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता – देयकों की स्थिति सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना।

———————

लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कोषालय में प्रस्तुत देयकों के भुगतान हेतु 5 कार्य दिवस की समय–सीमा निर्धारित है। इस प्रावधान के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कोषालयीन कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कोषालय में प्रस्तुत देयकों के संबंध में अद्यतन जानकारी e-kosh online के जरिए सार्वजनिक रूप से (public domain) उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें पारित देयकों/लंबित देयकों का विवरण, आपत्ति का विवरण आदि सम्मिलित है। इसके फलस्वरूप विभागाध्यक्ष/कार्यालय प्रमुख/आहरण संवितरण अधिकारियों को उनके द्वारा कोषालय में प्रस्तुत देयकों की online tracking करने तथा आपत्तियों का शीघ्र निराकरण करने में सुविधा होगी।

2. Public domain में यह जानकारी उपलब्ध कराने में छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है।

3. उक्त जानकारी e-kosh online में निम्नानुसार प्राप्त की जा सकती है :–

(i) इंटरनेट में जाकर http://cg.nic.in/dtap/ खोलें।

(ii) e-kosh online के home page में BILL STATUS पर क्लिक करें।

(iii) Bill status abstracts में संबंधित कोषालय का नाम एवं बिल की अवधि भरें एवं रिपोर्ट पर क्लिक करें।

(iv) रिपोर्ट के पेज पर देयक के संबंध में अद्यतन जानकारी प्राप्त करने के लिए दिए गए विकल्प पर क्लिक कर जानकारी प्राप्त करें।

4. इससे कोषालय अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी तथा उनकी कार्यक्षमता बेहतर होगी।

5. कृपया इस सुविधा का समुचित उपयोग करने हेतु सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

(डी.एस. मिश्र)
प्रमुख सचिव
वित्त तथा योजना विभाग

पृष्ठां. क्रमांक/960/वित्त/ब–4/चार रायपुर, दिनांक : 06/06/2012

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7. महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ मंत्रालय, रायपुर
22. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त तथा योजना विभाग

पृष्ठां. क्रमांक/ /वित्त/ब–4/चार रायपुर, दिनांक : 06/06/2012

प्रतिलिपि :–

आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर प्रेषित। कृपया समस्त कोषालय अधिकारियों को उपरोक्तानुसार सूचित करें।

प्रमुख सचिव
वित्त तथा योजना विभाग